संoसंo–1/नाoकॉo–02/2018–273(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक–27/2 /2019

विषयः– नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 200 बेड के पीoजीo छात्रा छात्रावास के निर्माण आदि कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिo, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूo 29,77,00,000/– (रुपये उन्नतीस करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक (परिo एवं निरूo), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–4331, दिनांक–12.12.2018 के आलोक में नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में 200 बेड के पीoजीo छात्रा छात्रावास के निर्माण आदि कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिo, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूo 29,77,00,000/– (रुपये उन्नतीस करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:–

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पीoडब्ल्यूoडीo कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

3– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/विo(2), दिनांक–17.04.1998, 2880/विo(2), दिनांक–06.05.2006, 2938/विo(2), दिनांक–08.04.2008 एवं 3758/विo, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः

5– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

7– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–04.01.2019 के योजना (स्कीम) क्रमांक–6 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/ना0कॉ0–02/2018 के पृष्ठ–3/टि0 पर प्राप्त है।

10– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग की सहमति सं0सं0–1/ना0कॉ0–02/2018 के पृष्ठ–4/टि0 पर प्राप्त है।

11– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, वित्त विभाग की सहमति सं0सं0–1/ना0कॉ0–02/2018 के पृष्ठ–9/टि0 पर प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/ना0कॉ0–02/2018– 273(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/2 / 2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव